

संचालनालय मछली पालन छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लॉक, नया रायपुर

संक्षिप्त विज्ञापन

क्रमांक- /सं.म./स्था./भर्ती/म.नि./2015 -16 नया रायपुर दिनांक/12/2015

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के ज्ञापन क्र० एफ 13-4/2015/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 24/02/2015 एवं ज्ञापन क्रमांक- एफ/13-15/2012/आ.प्रा./1/3 रायपुर दिनांक 18/07/2012 में निहित निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 243/641/2014/36 रायपुर दिनांक 18/06/2015 द्वारा मत्स्य निरीक्षक (वेतनमान रुपये 5200-20200/- एवं ग्रेड वेतन 2800/-) के रिक्त पदों पर सीधी भरती के माध्यम से नियुक्ति करने की प्राप्त सहमति के संदर्भ में मत्स्य निरीक्षक के रिक्त 12 पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की प्रवर्गवार संख्या का विवरण निम्न तालिकानुसार है-

कुल रिक्तियों की संख्या	कुल रिक्तियों की प्रवर्गवार संख्या				निःषक्तजन हेतु आरक्षित पद संख्या		कुल रिक्तियों की प्रवर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद
	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अस्थि बाधित एवं (Cebreal Palsy)	श्रवण बाधित	अनु० जनजाति
	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	04	03	00	01	02	02	01

विज्ञापन से संबंधित नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप मछली पालन विभाग की विभागीय वेबसाइट www.fisheries.cg.gov.in एवं संचालनालय जनसम्पर्क के वेबसाइट www.cg.nic.in/dpr पर देखा जा सकता है।

आवेदन पत्र, केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 07 जनवरी 2016 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व संचालनालय मछली पालन, इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लॉक, नया रायपुर छ०ग० में प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त के अलावा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों एवं उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

संचालक मछली पालन
छत्तीसगढ़

संचालनालय मछली पालन छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लॉक, नया रायपुर

विज्ञापन

क्रमांक— /सं.म./स्था./भर्ती/म.नि./2015 -16 नया रायपुर दिनांक /12/2015

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के ज्ञापन क्र० एफ 13-4/2015/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 24/02/2015 एवं ज्ञापन क्रमांक— एफ/13-15/2012/आ.प्रा./1/3 रायपुर दिनांक 18/07/2012 में निहित निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 243/641/2014/36 रायपुर दिनांक 18/06/2015 द्वारा मत्स्य निरीक्षक (वेतनमान रुपये 5200-20200/- एवं ग्रेड वेतन 2800/-) के रिक्त पदों पर सीधी भरती के माध्यम से नियुक्ति करने की प्राप्त सहमति के संदर्भ में मत्स्य निरीक्षक के रिक्त 12 पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की प्रवर्गवार संख्या का विवरण निम्न तालिकानुसार है—

कुल रिक्तियों की संख्या	कुल रिक्तियों की प्रवर्गवार संख्या				निःषक्तजन हेतु आरक्षित पद संख्या		कुल रिक्तियों की प्रवर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद अनु० जनजाति
	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अस्थि बाधित एवं (Cebraal Palsy)	श्रवण बाधित	
	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	04	03	00	01	02	02	01

निःषक्तजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था :- उपरोक्त तालिका के कालम क्र० 6 एवं 7 में निःषक्तजनों के लिए पद आरक्षित हैं। आरक्षित रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध चयनित निःषक्त उम्मीदवार की जाति प्रवर्ग के आधार पर आरक्षण रोस्टर में उसी जाति प्रवर्ग में समायोजित की जावेगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुदेश - भूतपूर्व सैनिकों को अपने आवेदन के साथ, निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिक होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक योग्यता :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एफ.एससी., अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक के साथ केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त।

नियम एवं शर्तें –

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. **आयु सीमा –** उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थी, ने दिनांक 01.01.2015 को 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष पूर्ण ना की हो। आयु सत्यापन हेतु पॉचवी, अथवा आठवीं अथवा दसवीं की अंक सूची/प्रमाण-पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, छ0ग0 शासन के कार्यरत अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता / नैमेत्तिक सेवानिधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, छटनी किये गए शासकीय सेवक, भूतपूर्व सैनिक, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत अभ्यर्थी, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान, तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थी, एवं उत्कृत खिलाड़ी घोषित अभ्यर्थी, राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी, स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिकों के नानकमीशन्ड अधिकारी, महिलाएँ, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएँ, निशक्तजन, को शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियमों/निर्देशों के तहत निर्धारित आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। छूट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी ने अधिकतम आयु 45 वर्ष पूर्ण ना की हो।

3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःषक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का लाभ लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र संलग्न ना होने की स्थिति में किन्तु अन्य पात्रता पूर्ण होने पर अनारक्षित प्रवर्ग में विचार किया जावेगा।
4. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक ने अपने नियोक्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो, तथा आवेदन प्रस्तुत करना प्रमाणित करता हो तो आवेदन पत्र विचारणीय होगा, तथापि चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में अथवा पश्चात्, नियोक्ता से आपत्ति प्राप्त होने पर चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
5. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
6. आवेदक "जिसकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो," नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदक "जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं" को इस संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें। फोटो को स्वयं द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है। साथ ही आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किये जावेंगे।
8. साक्षात्कार के समय समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की **मूल प्रतियाँ तथा स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित 1-1** छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
9. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले एवं किसी भी प्रकार का दबाव डालने वाले आवेदक को नियुक्ति के लिए अपात्र कर दिया जावेगा।
10. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना स्वयं का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा हुआ बिना **टिकट लगाये दो लिफाफा** संलग्न करना होगा।
11. बिना पूर्व सूचना के अधिसूचित रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकेंगी, या विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकेगा।
12. शासन द्वारा नियमों/ भर्ती नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वह इस विज्ञप्ति में लागू होंगी।
13. **चयन प्रक्रिया** – आवेदनों की छानबीन पश्चात् पात्र पाये गए अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया से होगा –

प्रथमतः प्राप्त आवेदनों की विहित शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार की जावेगी। तैयार प्राविण्य सूची के आधार पर 1:3 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जावेगा। विहित शैक्षणिक अर्हता से उच्च शैक्षणिक अर्हता पर कोई अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं किये जावेंगे।

अ. मापदंड :- विहित शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांक प्रतिशत का 95 प्रतिशत – अधिकतम 95 अंक, साक्षात्कार – 05 अंक कुल अंक – 100 अंक

14. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे वरीयता दी जावेगी।
15. छ0ग0 के मूल निवासियों को, जो किसी सेवा में ना हो, तथा छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, को छ0ग0 शासन के नियमों के अधीन, साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नगद भुगतान किया जावेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को वॉछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा व्यय की पात्रता संबंधी समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी से अथवा स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति, यात्रा के टिकट एवं घोषणा पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे तभी उन्हें यात्रा व्यय (टिकट किराया) का भुगतान किया जावेगा।
16. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी यदि चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा उपरान्त असत्य होना पाया जाता है तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी, एवं संबंधित के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

17. शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाये जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
18. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर ज्ञापन क्रमांक – एफ 13-15/2012/आ.प्रा./1/3 दिनांक 18/07/2012 अनुसार की जाने वाली नियुक्तियों माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटि. (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012, तथा 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन रहेगी एवं विज्ञापित किये गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में, माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
- 19.. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी। कार्य संतोषजनक होने पर सेवा नियमित की जा सकेगी।
20. प्रतीक्षा सूची, जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।
21. अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक मछली पालन, छ0ग0 रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
22. आवेदक को चाहिये कि विज्ञापित का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर आवेदन पत्र में सही-सही, स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी भरे। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे एवं इस संबंध में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी, आवेदन के निरस्त होने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। एक अभ्यर्थी का एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जावेंगे।
23. आवेदन पत्र भेजने के संबंध में दिशा निर्देश—
इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र, वॉछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों सहित, केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 07 जनवरी 2016 को सांय 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व संचालनालय मछली पालन, इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लॉक, नया रायपुर छ0ग0 में प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त के अलावा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों एवं उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। डाक से हुए विलम्ब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

संचालक मछली पालन
छत्तीसगढ़

॥ आवेदन पत्र ॥

प्रति,

संचालक मछली पालन,
इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल,
बी ब्लॉक, नया रायपुर छ0ग0

स्वयं अथवा
राजपत्रित अधिकारी
से सत्यापित स्वयं
का फोटो

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :-
3. आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) :-
4. पिता/पति का पूरा नाम :-
5. पत्र व्यवहार का पता :-
6. स्थायी पता :-
7. गृह जिला :-
8. राष्ट्रीयता :-
9. जन्म तिथि (अ) अंको में :-
- (ब) शब्दों में :-
10. आयु (01.01.2015 की स्थिति में) :- वर्ष -.....माह -.....दिन -.....
11. आयु सीमा में छूट चाहते हैं ? हां/नहीं :-
- यदि छूट चाहते हैं तो छूट का आधार - (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. लिंग (महिला/पुरुष/तृतीय लिंग) :-
13. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है - हां/नहीं :-
- (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
14. आवेदक की जाति (कृपया जाति अंकित करें) :-
- जाति प्रवर्ग (अजजा/अजा0/अपिव/अनारक्षित प्रवर्ग) :-
15. क्या नियुक्ति में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं (हां/नहीं स्पष्ट अंकित करें):-
- यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

16. शैक्षणिक अर्हता :- (आवेदित पद की न्यूनतम योग्यता से शुरू करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.						
2.						

17. क्या आवेदक किसी प्रकार की निःषक्तता से बाधित है :- **हाँ / नहीं**

(कृपया सही का चिन्ह अंकित करें)

यदि हाँ, तो निःषक्तता का प्रकार एवं प्रतिषत अंकित करें :-

(प्रकार— श्रवण/दृष्टि/अस्थि बाधित अथवा अन्य)

कृपया तत्संबंधी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

18. क्या आप शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में वर्तमान में सेवारत हैं (हाँ/नहीं) :-

वर्तमान अथवा पूर्व सेवाओं का विवरण :-

.....

.....

अ - धारित पद का नाम :-

ब - कार्य की अवधि :- दिनांक से तक कुल अवधि वर्ष

स - नियोक्ता/कार्यालय का नाम पता :-

.....

19. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? यदि हाँ तो विवरण देवे :-.....

.....

.....

19. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक :-दिनांक

रोजगार कार्यालय का नाम एवं पता :-

.....

20. क्या आप विवाहित है हां/नहीं :-

यदि हां तो विवाह की तिथि अंकित करें :-

21. जीवित संतानों की कुल संख्या :-

22. ऐसे संतान की संख्या, जिनका जन्म 26.01.2001 :-

को या उसके पश्चात् हुआ हो।

(दो से अधिक जीवित संतान होने की स्थिति में पात्रता संबंधी शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।)

23. आवेदित पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजों का विवरण –

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

कुल रिक्तियों की प्रवर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए
आरक्षित पद आवेदक का पूरा नाम :-.....

घोषणा पत्र

मैंआत्मज्/आत्मजा/पति श्री.....
एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम विश्वास
और ज्ञान के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, चयन के पूर्व या उसके
बाद गलत अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जायेगी। यह भी घोषणा करता/करती
हूँ कि मेरे द्वारा तथ्य छुपाये जाने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने की स्थिति में या नियुक्ति हेतु किसी
प्रकार की अपात्रता का प्रमाण मिलने पर मेरा चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियुक्ति संबंधी
मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगे।

स्थान :-

दिनांक :-

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम